संख्या-13/2021/753/22-2-2020-17(293)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 05 जनवरी, 2021**

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामदेव पुत्र श्री महेन्द्र, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16933/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-05-06-2020) दिनांक-03-07-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामदेव पुत्र श्री महेन्द्र, ग्राम-सबलपुर, थाना-पूरनपुर, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 05.06.2004 को उसकी पत्नी से छेड़छाड़ किये जाने की शिकायत करने की रंजिश में अपने 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांके से मुरारी लाल की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-661/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, पीलीभीत के आदेश दिनांक 28.04.2006 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.08.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.05.2020 तक 15 वर्ष 11 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 07 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी द्वारा अपराध किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किये जा सकने, पुन: अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 05.06.2004 को मुरारी द्वारा पत्नी से छेड़छाड़ किये जाने की शिकायत करने की रंजिश में अपने 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांके से मुरारी लाल की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, विवाद विद्यमान होने के कारण पुन: अपराध करने की प्रबल संभावना होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामदेव पुत्र श्री महेन्द्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामदेव (बन्दी संख्या-17266) पुत्र श्री महेन्द्र, निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-13/2021/753(1)/22-2-2020 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-13/2021/753/22-2-2020-17(293)/2020

दिनांक 05 जनवरी, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामदेव पुत्र श्री महेन्द्र, ग्राम-सबलपुर, थाना-पूरनपुर, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 05.06.2004 को उसकी पत्नी से छेड़छाड़ किये जाने की शिकायत करने की रंजिश में अपने 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांके से मुरारी लाल की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-661/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, पीलीभीत के आदेश दिनांक 28.04.2006 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.08.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.05.2020 तक 15 वर्ष 11 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 07 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी द्वारा अपराध किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किये जा सकने, पुन: अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 05.06.2004 को मुरारी द्वारा पत्नी से छेड़छाड़ किये जाने की शिकायत करने की रंजिश में अपने 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांके से मुरारी लाल की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, विवाद विद्यमान होने के कारण पुन: अपराध करने की प्रबल संभावना होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामदेव पुत्र श्री महेन्द्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

(करूणेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।